नैरोबी (केन्या) में

10 - 19 सितम्बर, 2010 तक

56वें रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शि-टमंडल की भागीदारी

के संबंध में

प्रतिवेदन

मु

ह

र

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

नैरोबी (केन्या) में

10 - 19 सितम्बर, 2010 तक

56वें रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शि-टमंडल की भागीदारी

के संबंध में

प्रतिवेदन

मु

ह

र

15/12/2011 को लोक सभा के पटल पर रखा गया ।

15/12/2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

आमुख

रा-ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) रा-ट्रमंडल संसदविदों का एक संघ है । यूनाईटेड किंगडम के पूर्त अधिनियम के अधीन सीपीए को एक पूर्त संगठन का दर्जा प्राप्त है । वर्तमान में 175 रा-ट्रीय, राज्य, प्रान्तीय और प्रादेशिक संसदें और विधानमंडल है जिनमें लगभग 17,000 संसदविद रा-ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं ।

2. संघ का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र की प्रगति को बढाने के साथ-साथ लोकतांत्रिक शासन के प्रति ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना है ।

3. सीपीए का वार्निक रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन विश्वभर के संसदविदों को एक साथ लाकर, सहयोग और समझ को बढ़ावा देकर तथा अच्छे संसदीय व्यवहार के संबंध में अध्ययन को प्रोत्साहन देकर चर्चाओं के लिए एक वार्निक मंच प्रदान करता है । यह एक ऐसा मंच है जहाँ रा-ट्रमंडल देश परस्पर चर्चा करते हैं और संगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं ।

4. माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीये शि-टमंडल ने नौरोबी, केन्या में 10 से 19 सितम्बर, 2010 तक आयोजित हुए 56वें रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया ।

5. इस प्रतिवेदन में उपर्युक्त सम्मेलन में भारत की भागीदारी का ब्यौरा दिया गया है ।

6. मुझे आशा है कि जब भी संसद में इससे संबंधित मुद्दे चर्चा के लिए रखे जाएंगे, इस प्रतिवेदन में अंतर्वि-ट जानकारी सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।

नई दिल्ली; **टी.के. विश्वानाथन**
दिनांकः **महासचिव**

56वां रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, नैरोबी, केन्या, 10-19 सितम्बर, 2010

प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना

1.1 रा-ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) की स्थापना एम्पायर पार्लियामेंटरी एसोसिएशन के रूप में 1911 में हुई थी तथा इसके कार्यों को यूनाइटेड किंगडम शाखा द्वारा प्रशासित किया जाता था । रा-ट्रमंडल के साथ विकसित होते हुए, सीपीए ने 1948 में अपना वर्तमान नाम अपनाया, अपने नियमों में परिवर्तन किए ताकि सभी सदस्य शाखाएं संघ के प्रबंधन में भाग ले सकें तथा इसके कार्यों का संचालन करने के लिए एक पृथक सचिवालय की स्थापना की । सीपीए रा-ट्रमंडल के ऐसे संसदविदों का संघ है, जो लिंग, जाति, धर्म अथवा संस्कृति का भेदभाव न करते हुए, सामूहिक हितों, विधि के नियमों तथा व्यक्ति-विशे-ा के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति सम्मान तथा साथ ही संसदीय लोकतंत्र के सकारात्मक आदर्शों की प्राप्ति के प्रयास के माध्यम से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं । समस्त रा-ट्रमंडल की संसदों तथा विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्रणी संसदविदों के बीच सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श में वैश्विक राजनीतिक मुद्दों तथा संसदीय प्रणाली में होने वाले विकास का विश्ले-ाण किया जाता है । ये पूर्ण-सत्रीय सम्मेलन 1948 से 1959 तक द्वि-वार्-िक आधार पर तथा 1961 से वार्-िक आधार पर आयोजित किए जाते हैं । सम्मेलन में व्यक्त किए जाने वाले प्रमुख विचारों का सार सदस्यों, रा-ट्रमंडल सरकारों तथा अंतरर-ट्रीय एजेंसियों को भेजा जाता है । सम्मेलन की अवधि के दौरान महासभा, कार्यकारिणी समिति, छोटी शाखाओं के सदस्यों, रा-ट्रमंडल महिला संसदविदों तथा संसदीय क्लर्क एवं सचिवालयों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।

56वें रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी केन्या की संसद द्वारा 10 से 19 सितम्बर, 2010 तक नैरोबी में की गई थी । सम्मेलन में भारतीय शि-टमंडल का नेतृत्व माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्रीमती मीरा कुमार द्वारा किया गया था तथा इसमें भारत संघ सीपीए शाखा (भारत की संसद) के निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः-

1.	श्रीमती मीरा कुमार माननीय अध्यक्ष, लोक सभा	शि-टमंडल की नेता एवं सीपीए भारत क्षेत्र की प्रादेशिक प्रतिनिधि

शि-टमंडल के सदस्य

2.	सुश्री सुशीला तिरिया, संसद सदस्य	राज्य सभा
3.	श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य	लोक सभा
4.	श्री मोइनुल हसन, संसद सदस्य	राज्य सभा
5.	श्रीमती इंग्रिड मैक्लोड, संसद सदस्य	लोक सभा
6.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य	लोक सभा
7.	श्री पी.डी.टी. आचारी, महासचिव, लोक सभा	सीपीए भारत क्षेत्र के प्रादेशिक सचिव तथा सदस्य, सोसाइटी ऑफ द क्लर्क्स-एट-दि टेबल
8.	श्री अमिताभ मुखोपाध्याय संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय	शि-टमंडल के सचिव

प्रेक्षक

9. डॉ. वी.के. अग्निहोत्री, महासचिव, राज्य सभा — सदस्य, सोसाइटी ऑफ दि क्लर्क्स-एट-द-टेबल

10. श्री दीना नाथ पाण्डेय,
माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के प्रधान सचिव

11. श्री एन.एस. वालिया, निदेशक
राज्य सभा सचिवालय

12. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी, निदेशक
लोक सभा सचिवालय

13. श्री गुरनाम सिंह, संयुक्त सचिव
राज्य सभा सचिवालय

14. श्री एस.आर.मिश्रा, उप-सचिव
लोक सभा सचिवालय

15. श्री कृ-ण पाल बलयान,
माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विशे-ा कार्य अधिकारी

16. श्री पंकज कुमार शर्मा,
वरि-ठ नयाचार सहायक, लोक सभा सचिवालय

भारतीय राज्य सीपीए शाखाओं से भी प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया, जिनका विवरण अनुबंध (एक) में दिया गया है ।

1.2 भारत संघ सीपीए शाखा के शि-टमंडल के सदस्य नैरोबी के लिए समूहों में रवाना हुए । माननीय अध्यक्ष, शि-टमंडल के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त, महासचिव, लोक सभा तथा माननीय अध्यक्ष के प्रधान सचिव तथा अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली से 09 सितम्बर, 2010 को दुबई के रास्ते केन्या के लिए रवाना हुईं । सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात्, माननीय अध्यक्ष अन्य अधिकारियों के साथ 21 सितम्बर, 2010 को दुबई के रास्ते दिल्ली वापस लौटीं। श्रीमती सुशीला तिरिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य (लोक सभा) दिल्ली से 11 सितम्बर, 2010 को दुबई के रास्ते नैरोबी के लिए रवाना हुईं । शि-टमंडल के अन्य सदस्य दिल्ली से 12 सितम्बर, 2010 को नैरोबी के लिए रवाना हुए ।

1.3 माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के साथ उनके पति भी थे । श्रीमती इंग्रिड मैक्लोड, संसद सदस्य, लोक सभा के साथ उनके पति भी थे ।

2. सीपीए कार्यकारिणी समिति की बैठकें

2.1 कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता सी. पी. ए. कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन तथा मलेशिया के ग्रामीण और प्रादेशिक विकास मंत्री माननीय दातो सेरी मोहम्मद शफी अपदाल ने की ।

2.2 श्रीमती मीरा कुमार, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री हाशिम अब्दुल हलीम, माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा एवं सीपीए के को-ाध्यक्ष । श्री टांका बहादुर राय, माननीय अध्यक्ष, असम विधान सभा तथा श्री हरमोहिन्दर सिंह छत्था, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, जो श्री उदय नारायण चौधरी, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के स्थानापन्न थे, ने नैरोबी में 11 और 12 सितम्बर, 2010 को

आयोजित सीपीए कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लिया । कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को 18 सितम्बर, 2010 को सैवो बॉलरूम, केआईसीसी में आयोजित की गई महासभा के समक्ष रखा गया । कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने सी पी ए पूर्ण सम्मेलन में भी भाग लिया ।

2.3 बाद में, नई कार्यकारिणी समिति की बैठक 18 सितम्बर, 2010 को 1500 बजे से वी आई पी लाउन्ज, के आई सी सी में आयोजित की गई । चेयरपर्सन ने कार्यकारिणी समिति के नए सदस्यों का स्वागत किया । भारत की ओर से बैठक में श्रीमती मीरा कुमार, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा एवं चेयरमैन, सीपीए भारत क्षेत्र, श्री हरमोहिन्दर सिंह छत्था, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा तथा श्री टांका बहादुर राय, माननीय अध्यक्ष, असम विधान सभा (जो पहले ही वापस आ गए थे) के स्थानापन्न के रूप में श्री वांगलिन लोवांडौंग, माननीय अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा ने बैठक में भाग लिया ।

2.4 माननीय मार्विक टी. खुमालो संसद सदस्य, स्वाजीलैंड को नई कार्यकारिणी समिति द्वारा व-र्ा 2010-11 के लिए निर्विरोध रूप से सी.पी.ए. का वाइस चेयरपर्सन निर्वाचित किया गया ।

3. रा-ट्रमंडल महिला संसदविदों की बैठकें

3.1 रा-ट्रमंडल महिला संसदविदों (सीडब्ल्यूपी) की संचालन समिति की बैठक 10 सितम्बर, 2010 को आयोजित की गई । भारत क्षेत्र से किसी भी सदस्य ने बैठकों में भाग नहीं लिया, तथापि भारत में लिंग संबंधी मामलों के संबंध में विकास संबंधी एक रिपोर्ट, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में विद्यमान संस्थागत संरचनाओं और संवैधानिक उपबंधों तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन किया गया था, रिकार्ड के लिए सीपीए को भेजी गई थी ।

3.2 दूसरा सीडब्ल्यूपी सम्मेलन 13 सितम्बर, 2010 को 0900 बजे एबेर्डेयर्स रूम केआईसीसी में आयोजित किया गया । सीडब्ल्यूपी सम्मेलन का वि-नय था ''व-र्ा 2010 में महिलाओं की स्थिति ।''

पूर्ण सत्रः

1. संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां
2. निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना
3. प्रवासी कर्मकारों के रूप में महिलाएं
4. राजनीतिक दलों का सुधार - लोकतंत्र के प्रति कार्य

3.3 सीडब्ल्यूपी की कार्य नि-पादन बैठक

सीडब्ल्यूपी की कार्य नि-पादन बैठक का आयोजन शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2010 को 0800 बजे केन्या इंटरनेशनल कांफ्रेंस सेंटर (केआईसीसी) के एम्फीथिएटर में किया जाना था । हालांकि, इसका स्थान बदलकर एबेर्डेयर्स रूम केआईसीसी में कर दिया गया । इस बैठक की अध्यक्षता केन्या की संसद सदस्य (2009-10) माननीय अमीना अब्दल्लाह ने की । माननीय कशमाला तारिक, एम एन ए, चेयरपर्सन सीडब्ल्यूपी तथा डॉ0 विलियम एफ. शिजा, महासचिव, सीपीए मंच पर आसीन थे ।

I. सीडब्ल्यूपी संचालन समिति बैठक की ओर से **क्षमायाचना** कार्य-नि-पादन बैठक को पढ़कर सुनाई गई । यह क्षमायाचना अन्य बातों के साथ-साथ माननीय कुमारी सेलजा, संसद सदस्य एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री के लिए पढ़ी गई थी ।

II. **सीडब्ल्यूपी रिपोर्टः** सीडब्ल्यूपी की चेयरपर्सन सुश्री कशमाला तारिक, एमएनए ने सीडब्ल्यूपी संचालन समिति की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई । **इसे अंगीकृत किया गया** ।

III. **गानः** कैमरून की ओर से एक प्रस्ताव आया कि सीडब्ल्यूपी का एक महिला गान होना चाहिए (जिसका पाठ संलग्न किया गया है) । श्रीमती भारती मुखर्जी, विधान सभा सदस्य, पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा इसका समर्थन किया गया । तत्पश्चात, सभा द्वारा इसे **ध्वनिमत** से महिला गान के रूप में **अंगीकृत कर लिया गया** ।

IV. वाइस चेयर-पर्सन की घो-णाः माननीय रेबेक्का कड़ागा, संसद सदस्य एवं यूगांडा संसद की डिप्टी स्पीकर को सीडब्ल्यूपी की संचालन समिति की 10 सितम्बर को आयोजित बैठक में सीडब्ल्यूपी की वाइस चेयर-पर्सन निर्वाचित किया गया था । वह अफ्रीका क्षेत्र से सीडब्ल्यूपी संचालन समिति की सदस्य हैं । **उन्हें व-र्ा 2010-11 के लिए वाइस चेयर-पर्सन के रूप में निर्वाचित घोि-त किया गया ।**

V. सीडब्ल्यूपी चेयर-पर्सन के लिए निर्वाचनः चेयरपर्सन की अवधि तीन व-र्ा के लिए है । यह तीसरा चुनाव है जो सीडब्ल्यूपी चेयरपर्सन के लिए हो रहा है । इस पद हेतु निर्वाचित चेयरपर्सन पद की अवधि 2010-13 होगी । अंतिम चरण में, सीडब्ल्यूपी चेयरपर्सन के पद के लिए निर्वाचन में **दो उम्मीदवार** निम्नवत थेः-

(i) **माननीय एलिक्स बोएड नाइट्स, हाउस ऑफ असेम्बली डोमिनिका की स्पीकर तथा से एमएचए एवं**

(ii) **सुश्री चार्लोट लेक्युयेर, क्यूबेक, कनाडा से एमएनए**

10 सितम्बर, 2010 को आयोजित हुई सीडब्ल्यूपी संचालन समिति की बैठक में तथा 13 सितम्बर, 2010 को आयोजित सीडब्ल्यूपी सम्मेलन में भी यह निर्णय लिया गया था तथा इस पर सहमति प्रदान की गई थी कि अंतिम निर्वाचन-सूची को निर्वाचन से 24 घंटे पूर्व (जैसा कि नियमों में उल्लिखित है) सूचना के लिए रखे जाने के स्थान पर **नियम 5ग के अनुसार** निर्वाचन से 10 घंटे पूर्व सूचना के लिए रखा जाएगाः

> ''महासभा सत्र/रा-ट्रमंडल महिला सांसद कार्य-नि-पादन बैठक, जिसमें मतदान होना है, के आरंभ होने के निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व निर्वाचन-सूची के बंद होने से पहले शि-टमंडल के सदस्य तथा सचिव प्रारंभिक निर्वाचन-सूची में किसी त्रुटि अथवा लोप के बारे में सीपीए सचिवालय को परामर्श देंगे ।''

क्योंकि शि-टमंडल के सदस्य/सीपीए सचिवालय के कार्मिक/मेजबान कार्मिक विभिन्न समूहों में दौरों तथा पर्यटन-संबंधी कार्यक्रमों में व्यस्त थे । प्रारंभिक निर्वाचन-सूची को सम्मेलन के लिए अभिहित प्रत्येक होटल से हटा लिया गया और अंतिम निर्वाचन-सूची तैयार कर लगा दी गई ।

VI. 16 सितम्बर, 2010 को जब सीपीए सचिवालय के कार्मिक दौरों/पर्यटन कार्यक्रमों से वापस लौटे, तो उन्हें **दक्षिण अफ्रीका से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उनके कुछ पंजीकृत प्रेक्षकों को शि-टमंडल के सदस्यों के रूप में स्थानांतरित करने** का अनुरोध

किया गया था । यह मुद्दा सीडब्ल्यूपी कार्य-नि-पादन समिति की बैठक आरंभ होने पर उठाया गया । यहां यह उल्लेख किया जाता है कि श्रीमती इंग्रिड मैक्लॉड, संसद सदस्य (जो कि पूर्व में प्रेक्षक थीं) का नाम श्रीमती मौसम नूर, संसद सदस्य के स्थान पर शि-टमंडल के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए सीपीए सचिवालय को भेजा गया था । सम्मेलन में भाग ले रहे सभी सदस्यों के नाम निर्वाचन-सूची में विद्यमान थे । अतः इस संबंध में भारत को कोई आपत्ति नहीं थी ।

निर्वाचन नियमों के अनुसार प्रेक्षकों के नाम अंतिम निर्वाचन सूची में शामिल नहीं किए जाते हैं क्योंकि वे शि-टमंडल के सदस्यों के स्थानापन्नों के रूप में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है, जब तक कि उन्होंने सम्मेलन आरंभ होने से पूर्व इस आशय की सूचना न दे दी हो ।

अब, सभा के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या **नियम 5च** को त्याग दिया जाना चाहिए, जो कहता है ''**प्रेक्षक मतदान के दौरान अनुपस्थित शि-टमंडल के सदस्यों के स्थानापन्न नहीं हो सकते है**'' जिसके लिए अफ्रीकी देशों तथा साथ ही कनाडा और आस्ट्रेलिया से आए शि-टमंडल के अनेक सदस्यों द्वारा आग्रह किया गया था । **श्रीमती भारती मुखर्जी, विधान सभा सदस्य, पश्चिम बंगाल, भारत ने कहा, '' सभी सदस्यों और प्रेक्षकों को, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, मतदान करने की अनुमति दी जाए ।''**

लम्बी चर्चा के पश्चात **यह निर्णय लिया गया कि नियमों को त्याग दिया जाए तथा दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त पत्र के अनुसार, प्रेक्षकों को मतदान के प्रयोजनार्थ शि-टमंडल के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाए । तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया इस संबंध में पुनः कार्यवाही करने के लिए ध्वनिमत से नियम में संशोधन किया जाए और निर्वाचन सूची में नामों को शामिल किया जाए । फिर 15 मिनट का विश्राम लिया गया ।**

15 मिनट का विश्राम

विश्राम के पश्चात निर्वाचन सूची सदस्यों को वितरित की गई (प्रति संलग्न) तथा जन निर्वाचन-सूचियां वितरित की जा रही थीं, तब **सिएरा लिओन** के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि उनकी शाखा को पूर्व में निलंबित किया गया था परंतु सम्मेलन के दौरान उनका निलंबन समाप्त हो गया, अतः उन्हें भी शि-टमंडल का सदस्य माना जाना चाहिए तथा उन्हें भी मतदान का अधिकार होना चाहिए । सीडब्ल्यूपी कार्य-नि-पादन बैठक में सभा उनके नामों को निर्वाचन-सूची में शामिल करने के लिए सहमत हुई । **उनके नामों को तब हाथ से लिखा गया** क्योंकि उनके नाम संशोधित टाइप की गई सूची में नहीं थे । तदुपरांत, **उन्हें मतदान की अनुमति दी गई ।**

महासचिव, सीपीए ने सभा के समक्ष बोलने के लिए पहले उम्मीदवार की पर्ची निकाली । क्यूबेक, कनाडा की सुश्री कार्लोट लीक्यूयेर ने सभा के समक्ष लगभग 10 मिनट तक अपनी बात कही तथा दूसरी उम्मीदवार माननीय एलिक्स बायड, एमएचए, डोमिनिका उस कक्ष से बाहर चली गई । इसके पश्चात, डोमनिका की विधायक माननीय एलिक्स बोयड नाइट्स ने 10 मिनट तक अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि क्यूबेक, कनाडा की सुश्री कार्लोट लीक्यूयेर कक्ष से बाहर चली गई ।

बैलट के लिए दो बैलट-बॉक्स लाए गए, हालांकि सीडब्ल्यूपी कार्य-नि-पादन बैठक ने अनुरोध किया कि प्रत्येक महिला प्रतिनिधि के नामों की क्षेत्रवार घो-णा की जाएगी । **भारतीय क्षेत्र से माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, सुश्री सुशीला तिरिया, संसद सदस्य, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य, श्रीमती इंग्रिड मैक्लॉड, संसद सदस्य, श्रीमती प्रणति फुकन, विधायक, असम तथा सुश्री भारती मुखर्जी, विधायक, पश्चिम बंगाल के नाम बुलाए गए** । प्रत्येक सदस्य बुलाए जाने पर आए और मतदान किया ।

सीपीए के संविधान के नियम 6(ग) के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों की गणना करने के लिए टैलरों को नामनिर्दि-ट किया जाता है । ऐसे टैलर, यथासंभव उसी क्षेत्र के नहीं होने चाहिए, जहां से कोई भी उम्मीदवार संबंध रखता है तथा प्रत्येक उम्मीदवार को मतों की गणना के समय अपने एक प्रतिनिधि को वहां उपस्थित रखने की अनुमति दी गई है । **श्रीलंका की सांसद माननीय डॉ0 पेरपेटुआ एस. फर्नाडोपुले तथा न्यूजीलैंड की सांसद सुश्री मोअना मैकी को टैलर के रूप में नियुक्त किया गया ।** महासचिव, सीपीए ने सीडब्ल्यूपी कार्य-नि-पादन समिति के अनुरोध के अनुसार एक अलग कमरे में गणना करने के स्थान पर समस्त कार्य-नि-पादन समिति के समक्ष मतों की गणना की । सभा ने इच्छा व्यक्त की कि महासचिव मतों की गणना ऊँचे स्वर में करें । तत्पश्चात, प्रत्येक मत को सभा के समक्ष ऊँचे स्वर में गिना गया ।

इसके पश्चात, महासचिव द्वारा परिणामों की घो-णा की गई ।

कुल मत	-	**74**
माननीय एलिक्स बोएड नाइट्स, एमएचए और स्पीकर, हाऊस ऑफ असेम्बली, डोमिनिका	-	**54**
सुश्री चार्लोट लीक्यूयेर	-	**18**
खराब मत	-	**02**

माननीय एलिक्स बोएड नाइट्स, एमएचए और स्पीकर, हाऊस ऑफ असेम्बली डोमिनिका को निर्वाचित घोनित किया गया । उन्होंने तीन व-र् की अवधि अर्थात 2010-13 के लिए सीडब्ल्यूपी का अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया ।

तत्पश्चात, सीडब्ल्यूपी की कार्य-नि-पादन समिति की बैठक स्थगित हुई ।

पूर्ण-सत्रीय सम्मेलन

पूर्ण-सत्रीय सम्मेलन 14-18 सितम्बर, 2010 को केआईसीसी में आयोजित किया गया । सम्मेलन का वि-ाय था ''21वीं शताब्दी में संसद और विकासः कितनी और कितना कठिन ।''

4. सम्मेलन का उद्घाटन

4.1 सम्मेलन का उद्घाटन त्सावो बॉलरूम, केनयाटा इंटरनेशनल कांफ्रेंस सेंटर में 14 सितम्बर, 2010 को प्रातः 10 बजे महामहिम माननीय म्वाई किबाकी, कोनिया गणराज्य के प्रसेडेंट और रक्षा बलों के कमांडर इन चीफ द्वारा किया गया । सम्मेलन का वि-ाय था ''21वीं शताब्दी में संसद और विकासः अभी दूर और पहुँच से परे ।'' उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह सर्वाधिक उपयुक्त वि-ाय है । उन्होंने उल्लेख किया कि **वि-ाय के अंतर्गत शामिल विचार-विमर्श में वे मुख्य विकास संबंधी चुनौतियां शामिल हैं, जिनका सामना हमारे देश कर रहे हैं । उन्होंने विशे-ा रूप से इस बात पर बल दिया कि मौसम परिवर्तन और ऊर्जा, महिला प्रवासी कर्मकारों की स्थिति तथा साथ ही शांति और सुरक्षा व प्रासंगिक विकास संबंधी चुनौतियां हैं, जिनका सामना देश कर रहे हैं तथा इनकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाना अपेक्षित है ।** उन्होंने पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी के पर्याप्त एवं प्रभावी विकासात्मक विकल्पों को तैयार करके सतत विकास हासिल करने की महती आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने प्रवासी कर्मकारों

के संरक्षण में संसदविदों की भूमिका का भी उल्लेख किया, जो कि वर्तमान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा अनेक देश इसके कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं । उन्होंने निम्न कार्बन नवीनीकरण योग्य ऊर्जा में सूझबूझपूर्ण निवेश के माध्यम से जीवाश्म ईंधन के खपत में कटौती करने में देशों के दायित्व पर भी बल दिया, जो कि पर्यावरण-अनुकूल हैं ।

4.2 सीपीए के वाइस प्रेसीडेंट श्रद्धेय माननीय जॉन बरकाव, संसद सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स, यू.के. के स्पीकर के बदले श्रद्धेय माननीय सर एलन हेसलहर्स्ट ने धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव दिया ।

4.3 लोक सभा की माननीय अध्यक्ष (सीपीए भारत क्षेत्र की प्रेसिडेंट) और भारतीय शि-टमंडल के अन्य सदस्यों ने भी उद्घाटन समारोह में भाग लिया । उद्घाटन समारोह के पश्चात् क्षेत्र-वार प्रतिनिधियों और प्रेक्षकों का आधिकारिक फोटोग्राफ भी लिया गया ।

4.4 तत्पश्चात् प्रतिनिधिमंडलों, प्रेक्षकों, कार्यशाला के मोडरेटरों, चर्चा करने वाले नेताओं, संप्रवक्ताओं और सत्र सचिवों की अलग से ब्रीफिंग हुई जिसमें भारतीय शि-टमंडल के अन्य सदस्यों ने भाग लिया ।

5.1 सम्मेलन के दौरान आठ कार्यशालाओं और दो पूर्ण सत्रों का आयोजन किया गया ।

रा-ट्रमंडल संसदीय संघ और रा-ट्रमंडल सचिवालय के महासचिवों का मंगलवार, 14 सितम्बर, 2010 को सावो बॉलरूम में आयोजित हुए पहले पूर्ण सत्र को संबोधित किया, तत्पश्चात् प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया ।

पूर्ण सत्र - एक

सीपीए के महासचिव और रा-ट्रमंडल महासचिव का अभिभा-ण - पूर्ण सत्र- एक

5.1 14 सितम्बर, 2010 को मध्याह्न पश्चात् 1530 बजे आरंभ होने वाले सत्र में रा-ट्रमंडल के महासचिव माननीय श्री कमलेश शर्मा और रा-ट्रमंडल संसदीय संघ के महासचिव डॉ0 विलियम एफ. शिजा ने अपना अभिभा-ण दिया । उसके बाद सावे बॉलरूम में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया ।

5.2 रा-ट्रमंडल संसदीय संघ के महासचिव ने अपने अभिभा-ण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में उल्लेख कियाः-

"मुझे आप सभी के साथ मेजबान सीपीए की केन्या शाखा, केन्या की सरकार और जनताने` हमारे नैरोबी में पहली बार पहुंचने के समय से ही जो हार्दिक स्वागत और आतिथ्य सत्कार दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता हो रही है । मैं केन्या गणराज्य के प्रेसिडेंट और केन्या रक्षा बलों के कमांडर-इन-चीफ महामहिम मवाई

किबाकी के प्रति उनके द्वारा प्रातः सम्मेलन के औपचारिक शुभारंभ के समय दिए गए बुद्धिमत्तापूर्ण उक्तियों, सलाह और प्रोत्साहन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं ।

हाल ही में पाकिस्तान में आई बाढ़ के कारण वहां हुई जानमाल की क्षति तथा लाखों लोगों के प्रभावित होने पर हम वहां की जनता के प्रति सांत्वना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं ।

एसोसिएशन ने मूल रूप से स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष में और विभेदकारी तंत्र को दूर करने में सहयोग किया । हाल के वर्षों में, इसने हजारों संसदविद, स्टाफ और संसद विशेषज्ञ को संसदीय प्रक्रिया का मानकीकरण करने तथा कार्यकुशलता बढने में भी सहायता की है । कई चर्चाओं, व्यावसायिक जानकारी के आदान-प्रदान, तथा वास्तविक इन-हाऊस प्रशिक्षण के माध्यम से एसोसिएशन के उक्त कार्यकलापों में बहुत अधिक मदद मिली है । अतः सीपीए सम्मेलन जैसा कि इसके आलोचक कहते हैं "वार्तालाप की दुकान" न होकर गंभीर प्रवृत्ति के संसदीय प्रशिक्षण सत्र हैं ।

सीपीए, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, अब लगभग सौ वर्ष पूरा करने वाला है । अगले वर्ष जुलाई में शताब्दी समारोह मनाने की हमारी योजना है । सन् 1911 में इसकी स्थापना के समय से, सीपीए की सदस्यता में जैसाकि संपूर्ण राष्ट्रमंडल के मामले में है, वृद्धि हुई है तथा एसोसिएशन द्वारा अपनी विशेषता और अधिदेश को कार्यान्वित करने की रीति में तदनुरूपी बदलाव आया है । इसका अभिप्राय है कि एसोसिएशन की प्रकृति परिवर्तनकारी युग के अनुरूप निर्धारित की गई है । इसी तथ्य

के फलस्वरूप कार्यकारी समिति द्वारा विभिन्न परिवर्तनों से गुजरने वाली सदी पुराने कार्यकलापों की संकल्पना के अनुरूप सीपीए के नए "लोगो " को स्वीक़ति दी है जो भवि-य में भी दिखाई देगी ।

हम इस सचिवालय में सदा सक्रिय होकर ऐसे कार्यक्रमों का प्रस्ताव देंगे और हमें विश्वास है इससे सदस्यों और संसदीय स्टाफ को लाभ होगा ।"

5.3 रा-ट्रमंडल के महासचिव ने अपने अभिभा-ाण में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि रा-ट्रमंडल का अपना महत्व है, यह रा-ट्रमंडल समय के साथ चलता है, यह कमजोर देशों का रा-ट्रमंडल है, यह साझेदारी का रा-ट्रमंडल है और यह रा-ट्रमंडल पूर्णरूपेण सत्य से प्रेरित रहा है फिर भी इसका हमेशा विकास हुआ है और मेरा मानना है कि इसने किंग जॉर्ज -ा-ठम जिन्होंने 1949 में एसोसिएशन का पुनर्गठन किया था उनकी आशा को पूरा किया है । उन्होंने आगे बताया, हम लोग आज यहां एकत्र हुए हैं क्योंकि रा-ट्रमंडल के वृहत्त कार्य है और वे समस्त विश्व की भलाई के लिए है । तथापि, इसे यह सोचने का अधिकार नहीं है कि यह निरंतर संदेह और निरंतर नवीकरण के बिना ऐसा रह सकता है और रहेगा । अन्तर-सरकारी रा-ट्रमंडल से बहुत से क्षेत्रों में वास्तव में बड़ी उम्मीदें हैं और हमने सर्वप्रथम इसकी स्वाकृति दी है । सीपीए रा-ट्रमंडल के सबसे पुराने संगठनों में से है । जैसा कि हमने देखा है, यह आधुनिक अन्तर-सरकारी रा-ट्रमंडल से भी पुराना है । फिर भी इसे किसी अन्य निकाय की ही भांति अपनी पहचान को उज्जवल रखना है । इससे अपना प्रभाव, अपना नेटवर्क और अपने प्रोफाइल को बढ़ाने की भी अपेक्षा है । इस कक्ष में जहाँ 16000 सदस्यों वाले संगठन के 175 रा-ट्रीय, राज्य, प्रांतीय और राजक्षेत्रीय संसदों के प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं, वह

सराहनीय है । यह तथ्य कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधा हुआ है, जो इस समुदाय को 'वैश्विक हित' के लिए विशाल संभावनाओं वाला बना देता है । इस प्रकार, अपने 100वें व-र्ा में रा-ट्रमंडल संसदीय समुदाय के समक्ष वही चुनौती है जो 61वें व-र्ा में व्यापक रा-ट्रमंडल की चुनौती थी । अर्थात् यह परिभा-ित करना कि उस संभाव्यता को किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से साकार किया जा सकता है । आपसी विचार विनिमय और सहयोग के अवसर के रूप में अमूल्य योगदान के साथ ही यह संसदीय रा-ट्रमंडल संघ अपने नेटवर्क की शक्ति और क्षमता के एक छोटे भाग को दर्शाता है । आपकी शक्ति आपकी संख्या और आप सभी अपने साथ उन उद्योगों के बारे में जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस वि-ाय में जो अनुभव लाते हैं ओर एक दूसरे से साझा करते हैं, इसकी गुणवत्ता में निहित है । भले ही ऐसी संसद जहां व-र्ा में 100 या 200 बैठकें होती है, या दोनों सदनों में 700 से अधिक संसद सदस्यों वाली भारतीय संसद हो, या तवालु की एक सदन में 10 सदस्य हों, या कैरिबियन राज्य की नेशनल असेम्बली हो या पूर्वी अफ्रीका की लेजिस्लेटिव असेम्बली जैसा प्रादेशिक चैम्बर हो या, भले ही इसके आधे सदस्य महिला हो (जैसा कि रवान्डा में है) अथवा एक तिहाई या चौथाई हिस्सा महिलाओं का हो, अथवा मोजाम्बिक की भांति बड़े बहुमत वाला संसद हो या ऐसा बहुमत हो जो आस्ट्रेलिया के संसद के हाल ही में निर्वाचन में है, उनमें से प्रत्येक में निश्चित रूप से एक ही भावना विद्यमान है । इस प्रकार लोकतंत्र सर्वदा मान्यता प्राप्त रहा है और लोकतंत्र की यात्रा आगे बढ़ रही है । मैं यह उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता कि रा-ट्रमंडल के कुछ सबसे पुराने और सर्वाधिक सश्क्त लोकतांत्रिक देशों जैसे आस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और यू0के0 में पिछले निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है । फिर भी, लोकतंत्र और सरकार का कार्य निरंतर जारी है । गठबंधन और राजनीतिक लेन-देन स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण होता जा रहा है और

लोकतांत्रिक संस्कृति की विशे-ता को विकसित कर रही है । रा-ट्रमंडल इन सभी में हिस्सेदार रहा है और हमारे सिद्धांतों की नींव को सुदृढ़ बनाए रखा जाना चाहिए । हमारे सिद्धांत सुदृढ़ होने चाहिए । संसदीय लोकतंत्र की संस्कृति में इस रा-ट्रमंडल की परिभा-ा निहित है और हर मोड़ पर हम इसकी पुनः अभिपुि-टि करते हैं । हम इसका दृढ़तापूर्वक बचाव करते हैं और इतना ही दृढ़तापूर्व बचाव करते हैं और इतनी ही दृढ़तापूर्वक हम अपने सदस्यों द्वारा इसे सशक्त बनाने में उनके प्रयासों में सहयोग करते हैं और वास्तविकता तो यह है कि कभी-कभी जब वे लोकतांत्रिक मार्ग से विचलित होते हैं तब हम उन्हें लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाने में भी सहयोग करते हैं । ट्रिनिडाड चोगम (सीएचओजीएम) ने सन 2009 में रा-ट्रमंडल में आपसी समझ बढ़ाने में और अधिक मजबूत साझेदारी में रा-ट्रमंडल परिवार के घटकों की अन्तर्ग्रस्तता केसे बढ़ाई जाए । इसकी जांच करने के लिए एक 'प्रतिि-ठित व्यक्तियों के समूह' की स्थापना की । चोगम को अन्य संगठनों के संबंध में हुए किसी परिवर्तन से निश्चित रूप से सहमत होना चाहिए किन्तु देशों के मध्य परस्पर सहयोग को रा-ट्रमंडल सहयोग को एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जाता है ।

5.4 उनके अभिभा-ण के पश्चात् महासचिवों ने संचालन निर्वाचन में रा-ट्रमंडल और सीपीए की भूमिका, अंतर-संसदीय तथा अन्तर-सरकारी रा-ट्रमंडल के बीच संबंध, पाकिस्तान में बाढ़ राहत और लोकतांत्रिक विकास के बारे में सदस्यों के बहुत से प्रश्नों तथा टिप्पणियों का उत्तर दिया ।

5.5 भारत संघ शाखा के प्रतिनिधियों ने अन्य सभी कार्यशालाओं और पूर्ण सत्रों में

भाग लिया और उन्हें निम्नलिखित चर्चाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआः-

क्रम सं0	**प्रतिनिधि का नाम**	**कार्यशाला/पूर्ण सत्र**
1.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य, लोक सभा	**कार्यशाला 'क'** - शांति बहाल करने में संसद की भूमिकाः सन् 2008 में निर्वाचन पश्चात् हुई हिंसा को दूर करने में केन्या का मामला ।
2.	श्री ईश्वर दास रोहानी, माननीय अध्यक्ष, म0प्र0 विधान सभा	**कार्यशाला 'ख'**- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में संसदों की भूमिका ।
3.	श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य, लोक सभा (मुख्य वक्ता)	**कार्यशाला 'ग'**- ऊर्जा और पर्यावरणः सतत विकास को प्राप्त करना ।
4.	श्री मोईनुल हसन, संसद सदस्य, राज्य सभा	**कार्यशाला 'घ'**- संसद, जवाबदेही और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने में इंटरनेट गवर्नेंस की भूमिका ।
5.	श्री आर.सी. देवनाथ, माननीय अध्यक्ष, त्रिपुरा विधान सभा	**कार्यशाला 'ड़'**- जमीनी स्तर की परियोजनाओं को सुकर बनाने में सांसदों की भूमिका ।
6.	श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य, लोक सभा	**कार्यशाला 'च'**- प्रवासी कर्मकारों की सुरक्षा में सांसदों की भूमिका ।
7.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य, लोक सभा	**कार्यशाला 'छ'**- वैश्विक जल और खाद्य संकट ।
8.	श्रीमती मीरा कुमार, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा	**कार्यशाला 'ज'**- उभरती हुई नई विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिए रा-ट्रमंडल कितना तैयार है ?

9.	श्री मोइनुल हसन, संसद सदस्य, राज्य सभा	**अंतिम पूर्ण सत्रः** प्रवास के मुद्दे से निपटने में सरकार की पहल ।

5.6 माननीय लोक सभा अध्यक्ष और भारत क्षेत्र के कार्यकारी समिति की सदस्य श्रीमती मीरा कुमार 17 सितम्बर, 2010 को आयोजित कार्यशाला 'एच' में उभरती हुई कई विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिए 'रा-ट्रमंडल कितना तैयार है' वि-ाय पर बोलने वाली प्रमुख वक्ता थी ।

श्रीमती मीरा कुमार ने उन सहायक कारकों पर बल दिया जिस पर उभरती हुई नई वैश्विक अर्थव्यवस्था निर्भर है । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि वैश्विक संकट के पश्चात् जिसका अल्प-विकसित देशों में अधिक गंभीर प्रभाव नहीं देखा गया अपेक्षाकृत अधिक सफल विकासशील देश, विशे-ा रूप से लैटिन अमेरिका और एशिया में जिन्हें अपनी श्रमशक्ति और प्रौद्योगिकी का बेहतर संबल प्राप्त हुआ और जिसके परिणामस्वरूप उनका आर्थिक कार्य नि-पादन का स्तर बढ़ गया । जिसके फलस्वरूप आर्थिक शक्तियों के संतुलन में भारी बदलाव देखा गया । इस नए आरेखन से निपटने के लिए रा-ट्रमंडल किस प्रकार तैयार है, इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए :-

1. रा-ट्रमंडल देशों को अपनी तैयारी के स्तर का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है । यह कार्य देश विशि-ट होना चाहिए ।
2. हमें अपने विकास नियोजन की रणनीतियों को फिर से तैयार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के निवारण को प्राथमिकता दे सकें ।
3. सहयोगी वातावरण प्रदान करना, सामाजिक नीतियों का प्रतिपादन करना और विधान बनाना जिससे निरंतर मानव विकास के लिए वांछनीय परिस्थिति उत्पन्न हो सके।
4. इस वास्तविकता के साथ योजना बनाना कि रा-ट्रीय अर्थव्यवस्था निरंतर परस्पर आश्रित हो सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था का कार्यनि-पादन भी इससे प्रभावित हो; और
5. विकासशील देशों को लोगों की आय-अर्जन क्षमता को बढ़ाने तथा समुपयुक्त आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए जिससे विशे-ा रूप से निर्यातकों को सहयोग प्रदान करने में बढ़ता हुआ सरकारी व्यय, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण

सुविधाएं, ग्रामीण-निर्धन व्यक्तियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने, सरकारी सेवा में कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने, बैंकों के लिए वित्तीय विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करने तथा निजी क्षेत्र से उख्पादकता वाले क्षेत्रों में धनराशि के प्रवाह में सुधार करने में उद्यमियों को तुलनात्मक लाभ होगा ।

कार्यशाला में भाग लेने वाले लोगों ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) को प्राप्त करने, मानव तस्करी समाप्त करने और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मापदंड के रूप में समान समूह वाले तंत्र को लागू करने पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की । प्रतिस्पर्धा, सृजनात्मकता और नेटवर्किंग को अपनाते हुए अफ्रीका में कनाडा की उपस्थिति बढ़ाए जाने की आवश्यकता परस्पर लाभ के लिए अनिवार्य है ।

अंत में, माननीय कीथ फ्लेक्स ने इस बात को दोहराया कि जी20 ब्लॉक में रा-ट्रमंडल में व्यापार की सुविधा प्रदान करने की क्षमता है । अगला कार्य विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों पर काबू पाना है । उन्होंने रा-ट्रमंडल देशों से आग्रह किया कि वे उभरती हुई नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए अपनी स्थिति सुदृढ़ करें ।

5.7 **कार्यशाला 'क'** में **शांति बहाल करने में संसद की भूमिकाः व-र्ा 2008 में निर्वाचन के बाद की हिंसा से निपटने में केन्या का उदाहरण** वि-नय पर चर्चा हुई । प्रथमतः उनके निर्वाचन पश्चात् हिंसा जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की क्षति हुई और 1300 लोगों की जानें गई, के बारे में संबोधन हुआ । इस बात पर आम सहमति बनी कि अंतः अभिजात्य समूह संघ-र्ा विश्वव्यापी घटना है जो न तो केन्या के लिए ना ही अन्य लोकतंत्र के लिए नई है । सन 2008 के दौरान निर्वाचन के बाद की हिंसा के दौरान शांति और राजनीतिक स्थायित्व लाने के लिए अनेक विधियां पारित करने की सक्रिय भूमिका निभाकर केन्या के संसद ने एक सराहनीय उपलब्धि प्राप्त की ।

5.8 **कार्यशाला 'ख'** में 'प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में सांसदों की भूमिका' वि-नय पर मध्य प्रदेश विधान सभा के विधान सभा सदस्य माननीय श्री ईश्वर दास रोहानी ने आपदा प्रबंधन की तैयारी में सांसदों की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि यद्यपि हम आपदा को समूल समाप्त नहीं कर सकते हैं, फिर भी इसके विनाशकारी प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं । उन्होंने दोहराया कि सर्वप्रथम संसद सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे संसद के भीतर और बाहर अपने निर्वाचन क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रयासरत रहें । उन्होंने आगे बताया कि संसद सदस्यों की

नीतियों और कार्यक्रम में हमेशा आपदा और इसके पूर्वोपाय के बीच एक सेतु तैयार करने से संबंधित कानून बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए । छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष श्री धरम पाल कौशिक ने समूह को इस तथ्य से अवगत कराया कि भारत हमेशा से आसानी से बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता रहा है । 1993 में आए भूकंप, 1999 में महा-चक्रवात, गुजरात के भुज में आए भूकंप और 2004 में भारत के दक्षिणी भाग में आई सुनामी के परिणामस्वरूप कई सौ लोगों की मृत्यु हुईं, कई सौ लोग घायल हुए, अवसंरचना और परिसंपत्ति न-ट हुई जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ ।

5.9 **कार्यशाला 'ग'** में **'ऊर्जा और पर्यावरणः सतत विकास को प्राप्त करना'** वि-नय पर भी श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका सामना आज पूरा विश्व कर रहा है और वैज्ञानिक प्रमाण से पता चलता है कि यह अनुत्तरदायी मानवीय आर्थिक कार्यकलाप का परिणाम है जिसमें जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना शामिल है जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है । अंतर्रा-ट्रीय समुदाय के लिए यह उचित समय है कि वह ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन कम करने के लिए प्रभावी पद्धति अपनाए ताकि वातावरण में इसका सान्द्रण कम हो सके और वैश्विक तापमान स्थिर हो सके । विकासशील देशों के बारे में बताया गया कि उनके ऊपर गरीबी और अल्प सामाजिक-आर्थिक विकास का बोझ तथा गरीबी उपशमन और अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास करने का दायित्व है, इसलिए विकासशील देशों में उत्सर्जन स्तर का बढ़ना निश्चित है । तथापि अपेक्षाकृत कम ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकल्प अपनाकर विकासात्मक प्रयास की रणनीति अपनाकर इसमें बदलाव लाया जा सकता है । उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्रा-ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विकास हेतु रणनीति के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) को मान्यता प्राप्त है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपो-ण के एक व्यवहार्य माध्यम का सृजन हुआ ।

5.10 **कार्यशाला 'घ'** में **संसद अन्वेक्षा को सुदृढ़ करने में जवाबदेही और इंटरनेट गवर्नेंस की भूमिका'** वि-नय पर राज्य सभा के संसद सदस्य श्री मोइनुल हसन सहित अधिकांश वक्ताओं ने पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्र-टाचार निवारण के माध्यम के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया । कार्यशाला में वक्ताओं ने गरीबी, अवसंरचनात्मक मुद्दों, आयु और न्यून अभिगम से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण में इंटरनेट के उपयोग की चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की ।

5.11 **कार्यशाला 'ङ'** में **'जमीनी स्तर की परियोजनाओं को सुकर बनाने में सांसदों की भूमिका'** वि-नय पर त्रिपुरा विधान सभा के अध्यक्ष श्री आर.सी. देबनाथ सहित भाग लेने वाले व्यक्तियों ने जमीनी स्तर की परियोजनाओं को सुलभ बनाने में संसद सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की । उन्होंने रा-ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन से आग्रह किया कि वह विभिन्न देशों में निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के उपयोग हेतु सर्वोत्तम प्रक्रिया के बारे में सूचना प्रकाशित करे । इसे इस वि-नय पर सर्वोत्तम मानक का सृजन करने के लिए जानकारी दे । प्रतिभागियों ने तर्क दिया कि यद्यपि जमीनी स्तर की परियोजनाओं को राजनैतिक युक्ति के रूप में देखा जा सकता है और सहायता देने वाले व्यक्तियों के लिए यह अलोकप्रिय हो सकता है, तथापि प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संसद सदस्यों में साम्यता का सृजन करने में इसका व्यापक महत्व है ।

5.12 **कार्यशाला 'च'** में **'प्रवासी कामगारों की सुरक्षा में संसद सदस्यों की भूमिका'** वि-नय पर लोक सभा सदस्य श्री हरिन पाठक ने बताया कि प्रवासी कर्मकार एक प्रसंग नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण वि-नय है । उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बहुत सारी परंपराओं के होने पर भी प्रवासी कामगारों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं अभी भी विद्यमान है और सरकारों तथा संसद सदस्यों को प्रवासी कर्मकारों की समस्या पर गहनतापूर्वक विचार करना है । ढेर सारे नियम और विनियम के बावजूद संसद सदस्यों का ध्यान मानवीय आधार पर केन्द्रित होना चाहिए और प्रवासी कर्मकारों के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए । उन्होंने महसूस किया कि अवैध प्रवासियों का भी पुनर्स्थापन और पुनर्वास किया जाना चाहिए और इसका कु-प्रबंधन नहीं होना चाहिए ।

5.13 संसद सदस्य, लोक सभा श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने **'वैश्विक जल और खाद्य संकट'** वि-नय पर आयोजित कार्यशाला 'छ' में भाग लिया । अतः इस बात पर आम सहमति थी कि जीवन का आधार जल का कोई पर्याय नहीं है और यह गरीबी कम करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम का मूल है । अंततः इस बात पर भी सहमति बनी कि आगामी रणनीति तय करने के लिए एक कार्य बल तैयार करने तथा सीपीए सम्मेलन में तय किए गए संकल्प को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । ऐसा करना अनिवार्य है ताकि सीपीए सम्मेलन केवल 'वार्ता-कार्यक्रम' बने रहने की छवि से बाहर निकल पाए ।

पूर्ण सत्र - II : प्रवास संबंधी मुद्दों से निपटने की दिशा में रा-ट्रमंडल की पहल

5.14 प्रमुख वक्ताओं ने कानूनी और गैर-कानूनी तर्क सहित स्वतंत्र प्रवास के पक्ष-विपक्ष में तर्क दिए । जहां एक ओर कुछ वक्ताओं ने प्रवासी कर्मकारों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया वहीं दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों ने छोटे समुदायों और प्रत्येक समाज की संस्कृति और मूल्यों पर प्रवासियों के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की । तथापि, वैश्वीकृत विश्व में जहां सभी देशों के लिए लोगों के प्रवास से समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु अंतर्रा-ट्रीय सहयोग और समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर सहमति बनी । प्रवास को हितकारी कारक के रूप में देखा गया क्योंकि इससे अपेक्षित श्रमिक उपलब्ध हो पाता है और लोगों को नई संस्कृति की जानकारी मिलती है जिससे समाज समृद्ध होता है । किंतु इसे संबंधित देशों के संसाधन, वहां की संस्कृति और उनके मूल्यों के लिए खतरा के रूप में भी देखा गया और इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि विकसित विश्व में प्रतिभा-पलायन होने से अपेक्षाकृत निर्धन देशों में विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है । सभी देशों को विकसित होने में सहायता प्रदान करने को दीर्घावधिक हल के रूप में देखा गया जिससे लोग अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रवास नहीं करेंगे । रा-ट्रमंडल की मुख्य भूमिका से बनी अंतर्रा-ट्रीय और द्विपक्षीय रणनीतियों को सभी वक्ताओं ने प्रवासियों की शो-ाण से सुरक्षा, छोटे देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रवास पर अंतर्देशीय नियंत्रण के कारणों की जांच करते हुए और सभी अंतर्देशीय विधियों में सामंजस्य बिठाकर अवैध आवागमन और मानव तस्करी सहित प्रवास के प्रबंधन को सर्वाधिक प्रभावी अल्पकालिक उपाय के रूप में देखा ।

राज्य सभा सदस्य श्री मोइनुल हसन और भारत क्षेत्र की राज्य सीपीए शाखाओं के कई अन्य प्रतिनिधियों ने उपर्युक्त के अलावा अन्य विभिन्न कार्यशालाओं और पूर्ण सत्रों में भी भाग लिया ।

6. सीपीए महा सभा

6.1 सीपीए की महा सभा की बैठक 18 सितंबर, 2010 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से केआईसीसी में सावो बॉलरूम में आयोजित की गयी थी। मंच पर निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्ति थे;

(एक) माननीय केनेथ मारेण्डे, ईजीएच, संसद सदस्य, प्रेजीडेंट ऑफ सीपीए तथा केन्या की नेशनल एसेम्बली के स्पीकर;

(दो) श्रद्धेय माननीय जॉन बरकॉ, संसद सदस्य, सीपीए के वाईस-प्रेजीडेंट तथा स्पीकर, हाऊस ऑफ कॉमन्स, यूनाइटेड किंगडम;

(तीन) वाई.बी. दातो' सेरी मोहम्मद शफी बिन अपदल, संसद सदस्य तथा सीपीए की कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन तथा ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास मंत्री, मलेशिया;

(चार) माननीय केथलीन केसी, एमएलए तथा वाईस चेयरपर्सन ऑफ सीपीए एक्जेक्यूटीव कमेटी तथा स्पीकर आफ द लेजिस्लेटिव एसेम्बली, प्रिंस एडवर्ड आयलैंड;

(पांच) माननीय हाशिम अब्दुल हालिम, एमएलए, ट्रेजरर ऑफ सीपीए के को-ाध्यक्ष तथा स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव एसेम्बली ऑफ पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष. भारत;

(छह) माननीय अमीना अब्दुल्ला, संसद सदस्य, केन्या तथा सीडब्ल्यूपी के प्रेजीडेंट;

(सात) सुश्री कशमाला तारिक, एमएनए, पाकिस्तान तथा सीडब्ल्यूपी की चेयरपर्सन;

(आठ) डॉ. विलियम एफ. शीजा, महासचिव, सीपीए तथा

(नौ) श्री डेविड ब्रूम, वित्त एवं लेखा निदेशक, सीपीए

बैठक की कार्य-सूची नीचे प्रस्तुत है। (अनुबंध-दो)। आम सभा ने इस कार्य-सूची की विभिन्न मदों को अनुमोदित/नोट/निपटान किया ।

6.2 महा सभा ने बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी के कार्यकाल की समाप्ति पर सीपीए कार्यकारिणी समिति में क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष सरदार हरमोहिन्दर सिंह चत्था को निर्वाचित किया ।

6.3 चूंकि श्रीलंका को वर्ष 2012 में 58वें रा-ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन का आयोजन करना है, अतःश्रीलंका की संसद के अध्यक्ष माननीय चामल राजपक्षे को सीपीए का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।

6.4 महा सभा की अन्य महत्वपूर्ण घटना सीपीए के वर्तमान महासचिव डॉ. विलियम एफ. शीजा के कार्यकाल को 2012-2016 तक बढ़ाया जाना था । उनको अगली कार्यावधि के लिए दूसरी बार नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वाजीलैंड में कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया जहां उनके कार्यकाल के विस्तार पर सहमति हुई तथा महा सभा को सिफारिश की गयी । तदनुसार, महा सभा ने सीपीए के महासचिव के कार्यकाल का विस्तार 2012-2016 तक के लिए स्वीकृत किया ।

6.5 महा सभा सर्वसम्मति से इस बात पर भी सहमत हुई कि रवाण्डा को 1 जनवरी, 2011 की तारीख से सीपीए का सदस्य बनाया जाना चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि रवाण्डा त्रिनिदाद और टुबैगो में नवम्बर में चोगम की बैठक में रा-ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना। सीपीए की आम सभा ने रवाण्डा की संसद के सीपीए का सदस्य बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया जो रवाण्डा की सीनेट तथा चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज की संयुक्त बैठक में 24 मार्च, 2009 को पारित किया गया था ।

7. समापन समारोह

सावो बॉलरूम, केआईसीसी में 18 सितम्बर, 2010 को पूर्ण सत्र-दो , जो 1130 बजे से शुरू हुआ था, के तुरंत पश्चात एक समापन समारोह आयोजित किया गया ।

8. भारतीय शि-टमंडल की बैठकें

56वें रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान मंगलवार, 14 सितम्बर, 2010 को अबेरडेरेस रूम, केआईसीसी, नैरोबी, केन्या में भारत क्षेत्र और भारत क्षेत्र ग्रुप की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई । माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने इस बैठक की अध्यक्षता की । अन्य बातों के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष ने सम्मेलन में भागीदारी के लिए कार्यक्रम और कार्यविधियों तथा भारत में आयोजित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों के बारे में भी प्रतिनिधियों को संक्षिप्त विवरण दिया । दोनों बैठकों के कार्यवाही सारांश तैयार किए गए तथा विधिवत अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् शाखा में रखे गए हैं ।

9. सोसायटी ऑफ क्लर्क्स एट दी टेबल

17 और 18 सितम्बर, 2010को सावो ए लेनाना केआईसीसी में सोसायटी ऑफ क्लर्क्स एट दी टेबल की एक बैठक आयोजित की गईं । विभिन्न संगठनात्मक तथा प्रक्रियात्मक मामलों पर उपयोगी चर्चाएं की गई । बैठक में लोक सभा के तत्कालीन महासचिव श्री पी.डी.टी. आचारी ने 'सितम्बर, 2009 के बाद से भारत क्षेत्र में हाल में हुए परिवर्तन' वि-नय पर एक पत्र प्रस्तुत किया । डॉ0 वी.के. अग्निहोत्री, महासचिव, राज्य सभा ने भी 'प्रश्नकालः इसे प्रभावी और कारगर बनाया जाना' वि-नय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया । 14 सितम्बर, 2010 को 0730 बजे क्षेत्रीय सचिवों की ब्रेकफास्ट बैठक आयोजित हुई । तत्कालीन महासचिव, लोक सभा तथा सीपीए भारत क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव श्री पी.डी.टी. आचारी ने बैठक में भाग लिया तथा सीपीए भारत क्षेत्र में सीपीए की गतिविधियों के बारे में अन्य क्षेत्रीय सचिवों को अवगत कराया ।

10. सम्मेलन दौरा

15-16 सितम्बर, 2010 को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर दो दिन के सम्मेलन-पूर्व दौरे का आयोजन किया गया । संबंधित लॉज और होटलों में रात्रि विश्राम का प्रबंध किया गया ।

11. सामाजिक समारोह

निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा मध्याह्न भोज/रात्रि भोज का आयोजन किया गयाः-

11 सितम्बर, 2010 - केन्या नेशनल असेम्बली के उपाध्यक्ष माननीय फराह मालिम, ईजीएच, एम.पी. द्वारा रात्रि-भोज ।

13 सितम्बर, 2010- सी डब्ल्यू पी प्रेसीडेंट माननीय अमीना अब्दल्ला, एम.पी. द्वारा स्वागत समारोह और रात्रि भोज का आयोजन ।

17 सितम्बर, 2010-

- अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों तथा शि-टमंडलों के नेताओं और उनके पतियों/पत्नियों के लिए नेशनल असेम्बली के स्पीकर और सीपीए प्रेसीडेंट माननीय केन्नेथ मरेन्डे, ईजीएच, एम.पी. द्वारा स्वागत समारोह और रात्रि भोज का आयोजन ।

- नेशनल असेम्बली फॉर क्लर्क्स के क्लर्क श्री पैट्रिक गिचोही, सीबीएस द्वारा सचिवों और शि-टमंडलों के सचिवों और उनके पतियों/पत्नियों के लिए रात्रि भोज ।

19 सितम्बर, 2010 - नेशनल आर्गनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन, माननीय डेविड मुसिला, एमजीएच, एमपी, असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर डिफेंस द्वारा विदाई समारोह और रात्रिभोज का आयोजन ।

12. नि-क-र्ा

भारत से आए सभी प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया और उसमें अपना योगदान दिया । केन्या दौरे से संबद्ध प्रलेखन तथा संभारिकी और वहां भारतीय शि-टमंडल के कार्य को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के अधिकारियों ने अति सावधानी से

योजनाबद्ध कर नि-पादित किया। विदेश मंत्रालय तथा केन्या में भारत के उच्चायोग के अधिकारियों द्वारा इसका अच्छी तरह समन्वयन किया गया ।

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव,
लोक सभा ।

अनुबंध - (एक)

56वां रा-ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, नैरोबी, केन्या
10 19 सितम्बर, 2010

राज्य सी पी ए शाखाओं के प्रतिनिधियों की सूची

क्रम सं0	सी पी ए शाखा/प्रतिनिधियों के नाम
1.	**आन्ध्र प्रदेश शाखा** डॉ0 ए. चक्रपाणी, सभापति, आन्ध्र प्रदेश विधान परि-द
2.	**अरुणाचल प्रदेश शाखा** श्री वांगलिन लोवांगडांग अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा
3.	**असम शाखा** श्री टांका बहादुर राय, अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि सीपीए भारत क्षेत्र श्रीमती प्रणती फुकन, उपाध्यक्ष, असम विधान सभा
4.	**बिहार शाखा** शामिल नहीं हुए
5.	**छत्तीसगढ़ शाखा** श्री धरम लाल कौशिक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

6.	**गोवा शाखा** श्री प्रतापसिंह रावजी राणे, अध्यक्ष, गोवा विधान सभा
7.	**गुजरात शाखा** शामिल नहीं हुए
8.	**हरियाणा शाखा** सरदार हरमोहिन्दर सिंह छत्था, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा
9.	**हिमाचल प्रदेश शाखा** श्री तुलसी राम शर्मा अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा
10.	**जम्मू - कश्मीर शाखा** श्री एस. अरविन्दर सिंह मिकी, सभापति, जम्मू - कश्मीर विधान परि-ाद
11.	**झारखण्ड शाखा** शामिल नहीं हुए
12.	**कर्नाटक शाखा** श्री के.जी. बोपैया, अध्यक्ष, कर्नाटक विधान सभा
13.	**केरल शाखा** श्री के राधाकृ-णन, अध्यक्ष, केरल विधान सभा

14.	**मध्य प्रदेश शाखा** श्री ईश्वर दास रोहानी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा	
15.	**महारा-ट्र शाखा**	शामिल नहीं हुए
16.	**मणिपुर शाखा**	शामिल नहीं हुऐ
17.	**मेघालय शाखा** श्री चार्ल्स पिन्ग्रॉप, अध्यक्ष, मेघालय विधान सभा	
18.	**मिजोरम शाखा** श्री जॉन रोटलुआंगिलियाना, उपाध्यक्ष, मिजोरम विधान सभा	
19.	**नागालैण्ड शाखा** श्री कियानिलाई पेसेई, अध्यक्ष, नागालैण्ड विधान सभा	
20.	**उड़ीसा शाखा** श्री प्रदीप कुमार अमत, अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा	
21.	**पंजाब शाखा** सरदार निर्मल सिंह कहलोन, अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा	

22.	**राजस्थान शाखा** श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा
23.	**सिक्किम शाखा** श्री एम.बी. दहल उपाध्यक्ष, सिक्किम विधान सभा
24.	**तमिलनाडु शाखा** श्री रामैया थेवर अवूडयप्पन अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा
25.	**त्रिपुरा शाखा** श्री रमेन्द्र चन्द्र देबनाथ, अध्यक्ष, त्रिपुरा विधान सभा
26.	**उत्तराखण्ड शाखा** श्री हरबंस कपूर, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा
27.	**उत्तर प्रदेश शाखा** शामिल नहीं हुए
28.	**पश्चिम बंगाल शाखा** श्री एच.ए. हलीम अध्यक्ष एवं को-ाध्यक्ष, सीपीए श्रीमती भारती मुखर्जी विधान सभा सदस्य, पश्चिम बंगाल विधान सभा

29.	**दिल्ली शाखा** डॉ0 योगानन्द शास्त्री, अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा	
30.	**पुडुचेरी शाखा**	शामिल नहीं हुए

राज्य सी पी ए शाखाओं के प्रतिनिधियों के सचिव

(भारतीय शि-टमंडल के भाग के रूप में आमंत्रित)

1. श्री एस.बी. पाटील
   सचिव,
   कर्नाटक विधान सभा

2. श्री ए.ई. लोथा
   सचिव,
   नागालैंड विधान सभा

3. श्री जादबलाल चक्रवर्ती
   सचिव,
   पश्चिम बंगाल विधान सभा

क्लर्क्स-एट-दि-टेबल मीटिंग सोसाइटी

1. श्री गोवर्धन सिंह
   सचिव,
   हिमाचल प्रदेश विधान सभा

2. श्री एच.आर. कुरी
   सचिव,
   राजस्थान विधान सभा

3. श्री देवेन्द्र वर्मा
   सचिव,
   छत्तीसगढ़ विधान सभा

अनुबंध - दो

दस्तावेज जी ए

सी पी ए
रा-ट्रमंडल संसदीय संघ

आम सभा बैठक

केनयाट्टा अंतर्रा-ट्रीय सम्मेलन केन्द्र
नैरोबी, केन्या

18 सितम्बर 2010

कार्यसूची

कार्यसूची की मदों के अनुरूप संख्यांकित दस्तावेज

1.	रा-ट्रपति द्वारा स्वागत और प्रारंभिक टिप्पणी	
2.	अनुपस्थिति के लिए स्प-टीकरण	
3.	अरु-ा में हुई पिछली बैठक का कार्यवाही-सारांश	जीए 3
4.	कार्यवाही-सारांश से उत्पन्न मामले	
5.	कार्यकारिणी समिति के प्रतिवेदन - प्राप्त करना	
	एक) 2009 के लिए वार्-िक प्रतिवेदन (यथामुद्रित)	जीए 5(i)
	दो) 1 जनवरी से 30 जून, 2010 तक की अवधि के लिए अंतरिम रिपोर्ट	जीए 5(ii)

6. सदस्यता रिपोर्ट — जीए 6

7. 31 दिसंबर, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित लेखे और तुलन पत्र प्राप्त करना — जीए 7

8. 2011 और 2012 के लिए सदस्यता शुल्क — जीए 8

9. 2010-2012 के लिए बजट, प्राक्कलन और प्रायोजना तथा वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट

एक) सीपीए सचिवालय आय और व्यय लेखेः 2010 (अद्यतन बजट) 2011 (बजटीय) तथा 2012 (प्राक्कलित) - प्राप्त करना । — जीए 9(i)

दो) 31 जुलाई, 2010 तक बजटीय, वास्तविक आय और प्व्यय, असंगति ओर तुलन -पत्र को दर्शाने संबंधी सीपीए सचिवालय वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट - प्राप्त करना — जीए 9(ii)

तीन) सीपीए कार्यशील पूंजी निधि आय और व्यय लेखेः 2010 (बजटीय) 2011 (प्राक्कलित और 2012 (प्रक्षेपित) - नोट करना — जीए 9(iii)

चार) 31 जुलाई, 2010 तक बजटीय, वास्तविक आय और प्व्यय, असंगति और तुलन-पत्र को दर्शाने संबंधी सीपीए कार्यशील पूंजी निधि वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट - नोट करना — जीए 9(iv)

पांच) सीपीए सम्मेलन सहायता निधि आय और व्यय लेखेः 2010 (बजटीय); 2011 (प्राक्कलित) तथा 2012 (प्रक्षेपित) - नोट करना — जीए 9(v)

छह) 31 जुलाई, 2010 तक बजटीय, वास्तविक आय और प्व्यय असंगति तथा तुलन-पत्र दर्शाने संबंधी सीपीए सम्मेलन सहायता निधि वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट - नोट करना — जीए 9(vi)

10.	बाह्य लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति	जीए 10
11.	महासभा की कार्यकारिणी समिति की सिफारिशें	जीए 11
	(एक) यूके सीपीसी 2011 प्रस्ताव	जीए 11(i)
	(दो) सीडब्ल्यूपी के संबंध में संवैधानिक संशोधन	जीए 11(ii)
12.	मुकाबला वाले निर्वाचन कराने संबंधी नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव	जीए 12
13.	शाखाओं द्वारा प्रस्तुत मामले	जीए 13
14.	महासभा में होने वाले निर्वाचन	जीए 14
15.	छोटी शाखाओं के सदस्यों के 30वें सम्मेलन की रिपोर्ट	मौखिक
16.	रा-ट्रमंडल महिला सांसदों की रिपोर्ट	मौखिक
17.	भावी स्थलों के संबंध में रिपोर्ट	जीए 17
18.	कार्यकारिणी समिति के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को फलक (प्लेक) प्रदान किया जाना	मौखिक
19.	कोई अन्य कार्य	